मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः24.09.2023

थाना हलिया पुलिस द्वारा गोवध निवारण व पशु क्रूरता अधिनियम के अभियोग से सम्बन्धित 03 शातिर गो-तस्कर गिरफ्तार —

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर 'अभिनन्दन' के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान तथा पशु तस्करों की गिरफ्तारी एवं उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने हेतु जनपद के समस्त थाना प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिये गये है।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में दिनांकः04.09.2023 को थाना हलिया पुलिस द्वारा पिकअप पर क्रूरता पूर्वक बांधकर वध हेतु ले जाये जा रहे 08 राशि गोवंशो को बरामद करते हुए एक नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था जबकि अन्य गो-तस्कर जंगल व अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागने में सफल रहे थे। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना हलिया पर मु0अ0सं0-119/2023 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत कर मौके से फरार अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा प्रयास जारी था। मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में आज दिनांकः24.09.2023 को उप-निरीक्षक संजय कुमार व उप-निरीक्षक श्यामलाल मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना हलिया क्षेत्र से शातिर गो-तस्कर 1.विजय सिंह पुत्र बलराम सिंह उर्फ रामचन्द्र निवासी मढ़ी थाना चन्दवक जनपद जौनपुर(हालपता-रामजानकी धाम शिवपुर थाना शिवपुर जनपद वाराणसी) को मोटरसाइकिल वाहन संख्याःUP70FU5996 के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त विजय सिंह उपरोक्त से पूछताछ/प्राप्त जानकारी के आधार पर थाना लालगंज क्षेत्र से सम्बन्धित अन्य 02 अभियुक्तों 1.सुरेन्द्र यादव उर्फ रजलू पुत्र फूलचन्द्र यादव निवासी नीबी कुकरकटवा थाना मेजा जनपद प्रयागराज , 2.नजीम पुत्र रुक्सार निवासी बलुआपुर थाना चैनपुर जनपद भभुआ(कैमूर) बिहार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार उपरोक्त 03 अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए मा0न्यायालय/जेल भेजा गया तथा मौके से बरामद मोटरसाइकिल वाहन संख्याः UP70FU5996 का वैध कागजात प्रस्तुत न करने पर अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण —

1.विजय सिंह पुत्र बलराम सिंह उर्फ रामचन्द्र निवासी मढ़ी थाना चन्दवक जनपद जौनपुर, उम्र करीब-45 वर्ष।

2.सुरेन्द्र यादव उर्फ रजलू पुत्र फूलचन्द्र यादव निवासी नीबी कुकरकटवा थाना मेजा जनपद प्रयागराज, उम्र करीब-30 वर्ष।

3.नजीम पुत्र रुक्सार निवासी बलुआपुर थाना चैनपुर जनपद भभुआ(कैमूर) बिहार, उम्र करीब-22 वर्ष।

विवरण बरामदगी —

मोटरसाइकिल वाहन संख्याःUP70FU5996 (धारा 207 एमवी एक्ट में सीज)

पंजीकृत अभियोग—

मु0अ0सं0-119/2023 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना हलिया जनपद मीरजापुर।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

1.उप-निरीक्षक संजय कुमार थाना हलिया मय पुलिस टीम।

2.उप-निरीक्षक श्यामलाल थाना हलिया मय पुलिस टीम।

थाना हलिया
जनपद – मीरजापुर
मो. 9454404007
71
पुलिस